



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 362) पटना, शुक्रवार, 19 जून 2020

सं० 5/आ०2-1069/2019-623
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

संकल्प
18 मार्च 2020

जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के पत्रांक-266/गो0, दिनांक-30.09.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि सितम्बर माह में अत्यधिक वर्षापात तथा संभावित बाढ़ के मद्देनजर दिनांक-29.09.2019 को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार की समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने हेतु Whatsapp के माध्यम से पूर्व सूचना दिये जाने के बावजूद श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये। उनके मोबाईल पर संपर्क करने पर मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया। पुनः दिनांक-30.09.2019 को माननीय मुख्यमंत्री बिहार की विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षात्मक बैठक में Whatsapp एवं दूरभाष के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद भी कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, ढाका बैठक में अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाये गये हैं।

2. उक्त प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करने की अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक-1885, दिनांक-06.11.2019 द्वारा श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी को जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। तदालोक में कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी के पत्रांक-1283, दिनांक-15.11.2019 द्वारा अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण को समर्पित करते हुए विभाग को भी इसकी प्रति समर्पित की गयी।

3. जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के पत्रांक-25/गो0, दिनांक-21.01.2020 से श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण का मतव्य प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित है कि कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी प्रायः मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं एवं पूर्व निर्धारित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग/बैठको में भाग नहीं लेते हैं तथा सक्षम प्राधिकार की

अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण द्वारा श्री सिंह का स्पष्टीकरण अस्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

4. उपर्युक्त की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी का उपर्युक्त कृत्य कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं बाढ़ आपदा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली में वर्णित प्रावधानों का भी उल्लंघन है। श्री सिंह के इस कृत्य के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के तहत दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

5. वर्णित परिप्रेक्ष्य में सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतिहारी के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(v) के तहत निम्न दण्ड अधिरोपित कर संसूचित किया जाता है:-

• एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

6. उपर्युक्त दण्ड पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रवीण कुमार गुप्ता,
संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 362-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>